संख्या-10 / 2020 / 115 / 38-6-20-06(एसआरएलएम) / 2019

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- 26 मार्च, 2020

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान सं0-81 (अनुसूचित जनजाति मद) में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-9 / 2020 / 95(4) / 38-6-20-06(एसआरएलएम) / 2019, दि0-06.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान सं0-81(अनुसूचित जनजाति मद) केन्द्रांश द्वितीय किश्त 60 प्रतिशत रू0-3343.03 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0-2228.69 लाख कुल धनराशि रू0-5571.72 लाख(रूपये पचपन करोड इकहत्तर लाख बहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- सम्यक विचारोपरान्त शासन के उक्त शासनादेश दि0-06.03.2020 के प्रस्तर-2 में एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

शासनादेश दि0-06.03.2020 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति			एतदद्वारा संशोधित वित्तीय स्वीकृति		
केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
3343.03	2228.69	5571.72	3383.32000	2188.39053	5571.71053

3- शासनादेश सं0-9 / 2020 / 95(4) / 38-6-20-06(एसआरएलएम) / 2019, दि0-06.03.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-323 / दस-2020, दि0-26.03.2020 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

-
2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2020/115(1)/38-6-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।